O/o CE (EITC)
Receipt No. 7057
Date 25 JAN 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढारकर, अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.), छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर
दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक **02/2017 दिनांक 06.01.2017**

श्री स्टीवर्ट स्टेंस **अपीलार्थी**
द्वारा– श्री गंगाराम
मु.पो.–सेन्दरी (पुटेकेला)
तहसील– सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा
(छ.ग.) पिन–495689

विरूद्ध

श्री व्ही.आर.मौर्या **प्रतिअपीलार्थी**
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 18.01.2017 को पारित)

अपीलार्थी श्री स्टीवर्ट स्टेंस की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 02/2017 दिनांक 06.01.2017 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री स्टीवर्ट स्टेंस का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि उनके द्वारा आवेदन दिनांक 22.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से 04 बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है:–

1. क्र./प्र.नि./छ.ग.रा.वि.हो.कं.मं./45 रायपुर दिनांक 08.11.2016 की सत्यापित छायाप्रति के साथ राज्य शासन के उस आदेशों की सत्यापित छायाप्रति दिलाऐं जिसके तहत् रेखांकित पत्र जारी किया गया।
2. पत्र क्रमांक 45 रायपुर दिनांक 08.11.2016 में कर्मचारी, अधिकारी की सेवाशर्त यथावत रहेगी लिखा है। अतः विद्युत विभाग के उस नियम, आदेश, दस्तावेजों कि सत्यापित छायाप्रति दिलाऐं जिसमें विद्युत कर्मचारियों की सेवा शर्त अंकित है।
3. पब्लिक सेक्टर से प्राईवेट सेक्टर लिखने में बिजली विभाग को क्या क्या लाभ है? यथावत पब्लिक लिखने से (प्रायवेट न लिखने से) बिजली विभाग को क्या क्या हानि है? तथा प्राईवेट लिखने से सब यथावत ही रहेगा तो प्राईवेट क्यों लिखा जा रहा है ?
4. क्या गारंटी (प्रमाण) हैं कि प्राइवेट किये जाने के बाद भविष्य में सेवा शर्त यथावत रहेंगी? तथा क्या गारंटी है कि प्राइवेट किया जाने के बाद शेयर नहीं बेचे जाएंगे? पत्र क्रमांक 45 रायपुर दिनांक 08.11.2016 में अंकित तथ्य सही है तो क्या इसे न्यायालय से या नोटरी से राज्य शासन लिखकर दे सकती है ?

किंतु चाही गई जानकारी हेतु शुल्क जमा करने विषयक मुझे कोई सूचना पत्र नही मिला है। अतः अधिनियम के नियमानुसार चाही गयी जानकारी समयावधि में निःशुल्क दिलाने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./03/दिनांक 10.01.2017 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक **18.01.2017** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री स्टीवर्ट स्टेंस को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त निर्धारित श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी सहायक जन सूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें।

(4) निर्धारित तिथि 18.01.2017 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही.आर.मौर्या, जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के आकस्मिक अवकाश पर रहने के कारण उनके स्थान पर श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं.) द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री स्टीवर्ट स्टेंस द्वारा 04 बिंदुओं में जानकारी चाही गई है। वांछित बिंदु क्रमांक 03 एवं 04 की जानकारी **प्रश्न उत्तर** के रूप में है। उक्ताशय के संदर्भ में लेख है कि **भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, के ज्ञापन क्रमांक 1/7/2009 आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 में निहित तथ्यों के अनुसार "क्या" या "क्यो" प्रश्नों का उत्तर देना एंव कारण बताना अपेक्षित नही है।** अतः बिन्दु क्रमांक 01 एंव 02 की जानकारी जो 45 छायापृष्ठों में उपलब्ध है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10453 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से **आवेदक श्री स्टीवर्ट स्टेंस को उनके द्वारा दी गई उनके पते पर दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के उदे्श्य से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत कुल 45 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु रूपये 2/–प्रति प्रतिपृष्ठ की दर से कुल 90/–रूपये मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् निर्धारित समयावधि के भीतर सूचित किया गया है।** किंतु वांछित अभिलेख शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में नही किया गया है। अतः दस्तावेज/जानकारी उन्हें उपलब्ध नही करायी गई है।

(5) उपरोक्त सुनवाई तिथि 18.01.2017 को अपीलार्थी श्री स्टीवर्ट स्टेंस अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं) उपस्थित हुए। उपरोक्त प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जो न्यायपूर्ण व विधि सम्मत है। अतएव अपीलार्थी को प्रकरण में पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित परिलक्षित नही होती है। फलस्वरूप प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी के पक्ष/तर्क श्रवण किये गये। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही कर अपीलार्थी को उनके द्वारा दी गई उनके पते पर धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 45 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रूपये 90/–मात्र का भुगतान किये जाने हेतु सूचित किया गया है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान जनसूचना

अधिकारी के कार्यालय में आज दिनांक तक नही किया गया है, और जानकारी/दस्तावेज प्राप्त किये बगैर ही प्रथम अपील आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि चाही गई जानकारी समयावधि में निःशुल्क दिलाये।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

जैसा कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा पैरा क्रमांक 04 में उल्लेख किया है कि आवेदक श्री स्टेंस के द्वारा बिन्दु क्रमांक 03 एंव 04 के माध्यम से जो जानकारी चाही गई है वह **प्रश्न–उत्तर** के रूप में है। अतः **भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, के ज्ञापन क्रमांक 1/7/2009 आई.आर. दिनांक 01 जून 2009 में निहित तथ्यों के अनुसार "क्या" या "क्यो" प्रश्नों का उत्तर देना एंव कारण बताना अपेक्षित नही है,** जो अधिनियम के तहत सही है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। यद्यपि बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 की जानकारी जो 45 छायापृष्ठों में उपलब्ध है जिस हेतु प्रतिअपीलार्थी के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर धारा (7) की उपधारा (1) के अंतर्गत दस्तावेज/अभिलेख शुल्क का भुगतान करने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया है, जो उचित परिलक्षित होता है जो स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उनके आवेदन में वांछित बिंदु क्रमांक 01 से 04 की जानकारी हेतु जनसूचना अधिकारी द्वारा शुल्क जमा करने बाबत् सूचित नही किया गया है, जो निराधार एवं तथ्यहीन है। क्योकि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से नियमानुसार अभिलेख शुल्क का भुगतान करने बाबत् अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये पते पर सूचित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त अभिलेख शुल्क का भुगतान जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में नही किया गया है, जिसके तहत उन्हे जानकारी/दस्तावेज प्रदान नही की गई है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नही है कि यदि अधिनियम के उपबंधों के विपरीत कोई नियम या अधिसूचना है तो वह प्रभावहीन और निरर्थक है क्योकि उन पर अधिनियम के उपबंध अधिभावी होगे।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी श्री स्टीवर्ट स्टेंस अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (1) के तहत कुल 45 छायापृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज हेतु अभिलेख/दस्तावेंज शुल्क रूपये 90/–मात्र का भुगतान प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में नगद (कार्यालय में उपस्थित होकर समुचित रसीद सहित) अथवा बैंक चालान/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प/मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जो भी सुविधानुसार उचित हो, **(सहायक प्रबंधक छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर)** के नाम से देय हो, भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त करें।

जहाँ तक अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रश्न है, पैरा क्रमांक 04 एवं 05 में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील अस्वीकार की जाती है, एवं प्रकरण क्रमांक 02/2017 दिनांक 06.01.2017 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती हैं।

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –02/2017/09 रायपुर, दिनांक 18/01/2017

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री स्टीवर्ट स्टेंस, द्वारा–श्री गंगाराम, मु.पो.–सेन्दरी (पुटेकेला), तहसील–सक्ती, जिला–जांजगीर चांपा, छ0ग0, पिन–495689 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040